

कार्यालय तहसीलदार तहसील वीरपुर जिला श्योपुर (म.प्र.)

क./रीडर/रा.रा.मार्ग/2018/476

वीरपुर दि. 13.09.2018

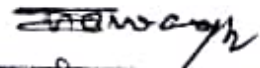
प्रति

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय
अनुभाग विजयपुर जिला श्योपुर

विषय- वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाणपत्र।

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक/82/तक/रा.रा./2018 ग्वालियर दिनांक 15/06/2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से नवीन प्रस्तावित रा.रा. कं.552 गोरस से श्यामपुर तक उन्नयन/चौडीकरण निर्माण कार्य हेतु ग्रामश्यामपुर, वसोना, गुर्जेनिया, इकडोरी, भमपुरा, घगलोकी, पुरा, औछा, कोटका, खाडीनं.2, सिरौनी के तथा श्यामपुर से सबलगड तक ग्रामश्यामपुर, घूघस, छावर, जाखैर, तेलीपुरा, गौहर, सीखेडा, पौचौ, वीरपुर, श्यारदा, वडागौव एवं हारकुई के सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों के द्वारा मौका स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कोई भी अनु.जन.जाति का वनधिकार का विज न होने से कोई वन अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया।


तहसीलदार
तहसील वीरपुर

कार्यालय तहसीलदार तहसील कराहल, जिला श्योपुर (म.प्र.)

क्रमांक/रीडर/ 2018/ 1008

कराहल, दिनांक 13/09/18

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग ग्वालियर, (म.प्र.)

विषय :- राजस्व विभाग के अंतर्गत वनभूमि प्रभावित न होने का प्रमाण पत्र।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रं/316/तक.रा.रा./2018 ग्वालियर दिनांक 1.8.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से राजस्व तहसील विभाग के अंतर्गत वनभूमि प्रभावित नहीं होने का प्रमाण पत्र चाहा गया है इस संबंध में राजस्व निरीक्ष/पटवारी से जाँच रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट अनुसार गोरस से श्यामपुर प्रस्तावित नवीन रा.रा. 552 में उन्नयन/चौडीकरण निर्माण कार्य किये जाने से ग्राम डोब, सिमरोनिया, पिपरानी/कराई, कदवाल एवं रानि वृत्त-02, गोरस में राजस्व वनभूमि एवं छोटे-बड़े झाग का जंगल प्रभावित नहीं हो रहा है मार्ग के निर्माण में राजस्व विभाग तहसील कराहल के अंतर्गत आने वाला वन क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है।

अतः चाहा गया प्रमाणीकरण सादर प्रेषित है।


तहसीलदार
तहसील कराहल
जिला श्योपुर (म.प्र.)